

दाखिल खारिज / विविध अभिलेख सं०.....

आवेदक श्री/श्रीमती

सोनी (श्रीमती) पिता / पति: ...

ग्राम

दामियाँ

पोस्ट

दामियाँ

थाना

दामियाँ

जिला का दाखिल खारिज/नामान्तरण के सम्बन्ध में

तारीख	आदेश	अभ्युक्ति										
28/5/13	<p>वादी ने दाखिल खारिज / नामान्तरण के लिए जो कागजात प्रस्तुत किया है, उसमें अंकित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है:-</p> <table border="0" data-bbox="251 451 1331 567"> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना सं०</td> <td>खाता सं०</td> <td>खेसरा सं०</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td>दामियाँ</td> <td>108</td> <td>320</td> <td>2487</td> <td>13282</td> </tr> </table> <p>अतः अंकित भूमि के दखल कब्जा के संवध में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें, साथ ही केता, बिकेता, को नामान्तरण से संवधीत सभी फरीकैन एवं महाल पर नोटिश निर्गत करे।</p> <p>दिनांक 12/6/13 को अभिलेख उपस्थित करें।</p>	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	दामियाँ	108	320	2487	13282	
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा								
दामियाँ	108	320	2487	13282								
<p>लेखान्तरीत एवं शंशोधित।</p> <p>अंचलाधिकारी, दामियाँ</p>		<p>अंचलाधिकारी, दामियाँ</p>										
<p>28/6/13</p> <p>वादी (श्रीमती) सोनी, पति (श्रीमत्) ... वादी की जमीन पर राजस्व कर्मचारी द्वारा पड़ोसी द्वारा शेरत करवाया जा रहा है। शेरत करवाने से शेरत कर वसूली महत्वपूर्ण है। दामियाँ, प. अंचल कर्मचारी द्वारा यह बातों का उल्लेख किया गया है। शेरत करवाने को ही उचित है। शेरत करवाने के लिए शेरत कर कर्मचारी को सूचना मिलेगी कि वह शेरत कर वादी की जमीन पर शेरत कर वसूल करे। शेरत कर वादी की जमीन पर शेरत कर वसूल करे। शेरत कर वादी की जमीन पर शेरत कर वसूल करे। शेरत कर वादी की जमीन पर शेरत कर वसूल करे। शेरत कर वादी की जमीन पर शेरत कर वसूल करे।</p>												

दामियाँ

दामियाँ